

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :- अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- 105/16-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री सुरेश कुमार वास्वी वो अंचल निरीक्षक श्री नारदेव/राध का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा दुधुआ थाना नं0 092 गैरमजरूआ खाता नं0 24/39/1 दाग नं0 32 रकवा 00:16-10 किस्म पत्ती करी श्री सुरेश रविदास पिता कारु रविदास साकिन..... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री सुरेश रविदास को दिनांक 20/5/16 समय 11:00 AM पुर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

Be  
21/5/16

अंचल अधिकारी,  
महागामा।

20/5/16

आज्ञापूर्वक रूप से जांच। सुरेश रविदास पिता कारु रविदास के पुत्र श्री रविदास उपस्थित। उन्होंने मुझे प्राप्त के माध्यम से रकम में कोई दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि कम्प्यूटरी मुद्रित E.C.L द्वारा आचरणा का किया गया है। इनके दस्तावेज में जर्नीय नहीं है। दस्तावेज समर्पित करने हेतु निदेश को। आज्ञापूर्वक दिनांक 11/5/16 को रखा।

21/5/16

sandha

Be  
20/5/16  
309

11/3/18


अभिलेख उपस्थापित। ही रविदास उपस्थित। कुमि प्राप्त।  
संबंधी दस्तावेज संशोधन करने हेतु समझ की मीठा की गई है  
अग्रे अभिलेख दिनांक 28/3/18 को रहे।

11/3/18  
अ. म. म.

अ. म. म.

15/6/19

अभिलेख उपस्थापित।  
नोटिफ निर्गम करें।

  
अ. म. म.  
म. म. म.

अभिलेख उपस्थापित।  
नोटिफ क्षेत्र दे डिका (किया (एस का))

01/7/2020

अभिलेख उपस्थापित।  
नोटिफ निर्गम करें।

  
अ. म. म.  
म. म. म.

05.01.2021

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व कृषि विभाग - लह-प्रभाती लंचल निरीक्षण,  
महाराष्ट्र से प्रसंगत कृषि का वार्षिक प्रतिवेदन  
के साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसका  
अवलोकन किया प्रतिवेदनानुसार अर्बन संदेहास्पद पंजीय  
रूयत को कृषि सहाय-पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान  
में उक्त कृषि ई. सी. ए. ए. ए. ECL क्षेत्र के अधीन  
क्षेत्र के अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख  
की कार्यवाही समाप्त की जाती है।  
उपस्थापित

अ. म. म.  
म. म. म.

  
अ. म. म.  
म. म. म.